

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 1972/माघ 27, 1893]
No. 55] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 1972/MAGHA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 1972

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Food Corporations (Amendment) Rules, 1972.
2. In rule 5 of the Food Corporations Rules, 1965, to clause (ii), the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that if the Chairman voluntarily foregoes the salary to which he is entitled under clause (i), he shall be eligible for free unfurnished accommodation suitable to his status.”.

[No. F. 8-15/71-FCC.]

A. K. MAJUMDAR,

Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

सं० फा० नि० 78(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खाद्य निगम नियम, 1965 में और आगे संगोष्ठा करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. ये नियम खाद्य निगम (संगोष्ठा) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।
2. खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 5 में, खण्ड (ii) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष उसे जो वजन का हक खंड (i) के अधीन प्राप्त है उसे स्वेच्छा में छोड़ना है तो वह अपनी हैमियन के उपायुक्त बगैर सज्जा वाली निशुल्क वास सुविधा का पालन होगा।”

[सं० फा० 8-15/71-एफ०सी०सी०]

ए० के० मजुमदार, मंयुक्त सचिव।